न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—563/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—226/26
बिहार राज्य बनाम् विनय कुमार।

विनय कुमार, पे0—छोटु पासवान, उम्र लगभग 18 वर्ष,
साकिन—करकी, थाना—अरियरी, जिला—शेखपुरा। ....आवेदक।

<u>वनाम</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री आशीष कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

26.05.2026 काराधीन अभियुक्त विनय कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 14.05.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड सं0—226/26 के अंतर्गत 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में इसके अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक के पास से किसी तरह का कोई अवैध सामग्री बरामद नहीं किया गया है। पुलिस के द्वारा किसी दिगर स्थान से प्राप्त चुलाई शराब को आवेदक के कब्जे से बरामद होने की बात कही गयी है और पुलिस के द्वारा आवेदक से पूछताछ करने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया। आवेदक चुलाई शराब रखने या बेचने का कार्य नहीं करता है। आवेदक एक गरीब व्यक्ति है, जो मेहनत मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने के उपरांत फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक श्रीमान के आदेशानुसार उचित राशि का बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। आवेदक दिनांक 14.05.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—563/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—226/26
बिहार राज्य बनाम् विनय कुमार।

लगातार

26.05.2026 इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्त को जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि उत्पाद थाना को दिनांक 13.05.2026 को समय करीब 01:45 PM बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि अरियरी थाना अंतर्गत करकी गॉव में विनय कुमार, पिता छोटू पासवान के द्वारा अपने घर से चुलाई शराब का बिक्री किया जा रहा है। तत्काल छापामारी करने पर उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है तथा शराब बरामदगी हो सकती है। सूचना को सत्यापित कर वरीय पदाधिकारी को सूचना से अवगत कराकर मेरे द्वारा एक छापामारी दल का गठन कर महिला सिपाही एवं गृहरक्षक सिपाही तथा सैप बल के जवानों को शामिल कर समय करीब 02:45 PM बजे अरियरी थाना अंतर्गत करकी गॉव में विनय कुमार, पिता छोटू पासवान के घर के पास पहुंचा, तो देखा कि एक व्यक्ति अपने घर से भागने का प्रयास करने लगा। तत्पश्चात मेरे कहने पर छापामारी दल में शामिल सिपाही द्वारा उक्त व्यक्ति को उसके घर के सामने पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विनय कुमार, पे0—छोटु पासवान, उम्र लगभग 18 वर्ष, साकिन—करकी, थाना—अरियरी, जिला—शेखपुरा बताया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए तलाशी के क्रम में देखा कि पकड़े गये व्यक्ति के घर के मुख्य दरवाजे के सामने परती जमीन से एक उजला रंग के प्लास्टिक के झोला मिला। तत्पश्चात तलाशी नियमों का विधिवत पालन करते हुए नियमानुसार झोले का तलाशी लिया गया लेने पर झोले के अन्दर 02 क्षमता वाला एक उजला रंग का प्लास्टिक का बोतल एवं एक लीटर क्षमता वाला 02 प्लास्टिक का बोतल एवं एक काले रंग के पॉलीथीन मिला, जिसे खोलकर सुंघने पर चुलाई शराब का गंध आया। 02 लीटर क्षमता वाला उजला रंग का प्लास्टिक का बोतल में 01.500 लीटर एवं 01 लीटर क्षमता वाला 02 प्लास्टिक के बोतल 900ml-900ml एवं काले रंग के पॉलिथिन के अन्दर 500 ml का 05 पाउच = 02.500 लीटर चुलाई शराब पाया गया। कुल चुलाई शराब की मात्रा—05.800 बरामद व जप्त किया गया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए जप्ती सूची में अंकित किया गया तथा गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—563/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—226/26
बिहार राज्य बनाम् विनय कुमार।

लगातार

26.05.2026 अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अभियुक्त इस वाद में दिनांक 14.05.2026 से काराधीन है। घटनास्थल से 05.800 लीटर चुलाई देशी शराब बरामद किया गया है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। इनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे—संबंधी होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र के साथ अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि——

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
3. आवेदक के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक इतिहास पाये जाने पर इनका बंधपत्र स्वयं खंडित माना जाएगा।
4. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 26—05—2026.

Date of Judgment/ Order	26.05.2026
Date of Reserving Judgment/Order	26.05.2026
Uploading Date	27.05.2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—563 / 2026
उत्पाद थाना कांड सं0—226 / 26
बिहार राज्य बनाम् विनय कुमार।